P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-III* Issue-XI*July-2016

''गंगा नगर'' गंदी बस्ती में बाल अपराध की स्थिति

दीपक मालवीय,
शोध छात्र,
समाजशास्त्र विभाग,
बरकत उल्ला विश्वविद्यालय,
भोपाल,म.प्र.

शैलजा दुबे
प्राध्यापक,
समाजशास्त्र एवं समाज कार्य,
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान,
भोपाल,म.प्र.

सारांश

गंदी बस्तियां बाल अपराध एवं अन्य अपराध में अग्रणी होती है, ''गंगा नगर'' बस्ती में भी 34% बालक चोरी करना, झूठ बोलना व नशा करने में संयुक्त रूप से अपराध में तथा अन्य शेष अपराधों का 76% बालक भी कही न कही अपराध में सम्मिलित पाये गये है। बस्ती भोपाल जिले का 0.0003% भाग है। बस्ती की कुल जनसंख्या 1,879 में 50 उत्तरदाताओं का चयन किया गया।

मुख्य शब्द : प्रतिकूल, सामाजिक प्राणी, प्राथमिकता, सुव्यवस्थित।

प्रस्तावना

''स्लम'' शब्द स्लम्बर से आया है इसका अर्थ है– ''शान्ति से तथा बेफ्रिक्री से सोना'' जिसे गलत ढंग से सही माना है। भारतीय महानगरों में स्लम्स का उदाहरण जरा भिन्न रूप से लिया गया है, सामान्य तौर पर इन्हें कलकत्ता में ''बस्ती'' कानपुर में ''अहाता'', चैन्नई में ''चेरी'', दिल्ली में ''काटरा'', मुंबई में झोपड़–पट्टी तथा भोपाल में ''झुग्गी–झोपड़ी'' कहा जाता है। शहरों में फैली ये झुग्गी बस्तियां आवास के योग्य नहीं है क्योंकि ये अधिकतर कच्ची और अस्थाईं निर्माण पर आधारित है। स्वच्छता की परिकल्पना यहां विकसित ही नहीं है। पानी, प्रकाश, नाली, साफ–सफाई, शौचालय व निकासी की व्यवस्था के आभाव के साथ–साथ रहवासियों की आर्थिक स्थिति का कमजोर होना तथा अशिक्षा ने इन लोगों के जीवन स्तर को बहुत नीचे पहुँचा दिया है। झुग्गी झोपड़ी परिवारों में अधिक दयनिय स्तर स्त्रियों एवं बच्चों का है। गन्दी बस्तियों कि समस्या नौतिकता से भी कम संबंधित नहीं है। अस्वास्थ्यकर एवं दूषित वातावरण में रहने से मनोभाव एवं आदते भी वैसी ही विकसित होती है। बुरे मनोभावो के फलस्वरूप ही असामजिक व्यभिचार, योन अपराध, बलात्कार, वैश्यावृत्ति एवं अनैतिक संबंधो का बढ़ाता मिलता है। नैतिकता के अभाव में हर संभव अपराध किये जा सकते है। **गंदी बस्ती बाल अपराध एवं अपराध का क्षेत्र होता है। इसे बुराई का क्षेत्र भी कहा जाता है।** परन्तु बुराई केवल गंदी बस्तियों तक ही सीमित नहीं होती। विभिन्न देशों में बाल–अपराधियों की निन्मतम और उच्चतम आयु भिन्न–भिन्न है। भारत में उसी बालक या किशोर का समाज–विरोधी कार्य, 'अपराध' माना जाता है। जिसकी निम्नतम आयु 7 वर्ष और अधिकतम आयु 16 वर्ष होती है। किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में, बालापराध परिभाषित किया जाता है जो किसी वयस्क द्वारा किये जाने पर अपराध होता है। (**स्किनर के अनुसार–**'') समाज–शास्त्रियों का तर्क है कि अधिकांश बाल–अपराधी गंदी बस्तियों के होते है। (**''मेडिसन एवं जॉनसन** के अनुसार–'') उनके इस कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए **शॉ एवं मैके – डंबामल** ने अमेरिका के लगभग 15 नगरों में बाल–अपराधों का अध्ययन किया जिनके परिणामस्वरूप व इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि गन्दी बस्तियों में बाल–अपराधों की दरें सबसे अधिक थी। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों को अनेक सुविधाऐं एवं व्यवस्थाएं प्रदान करता है। ये सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं समाज द्वारा निर्मित नियम–कानूनों से बंधी होती है। सामाजिक व्यवस्था को बनाएं रखने के लिए नियम कानूनों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होता है, चाहे व वयस्क हो या बालक यदि वयस्क इन नियम–कानूनों की अवेहलना करके समाज–विरोधी कार्य करता है तो उसका कार्य, ''अपराध'' कहा जाता है। ऐसे बालक को हम ''बालापराधी'' कहते हैं या जो बालक कानून की दृष्टि से दण्डनीय अपराध करता है, वह ''बालापराधी'' कहा जाता है। बाल अपराध के लिए कदाचार तथा अपचार जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। बाल–अपराध के स्वरूप को हम उन अपराधों से सरलतापूर्वक समझ सकते है, जिनको बालक या किषोर करते हे। इस प्रकार के कुछ अपराध हैं– चोरी करना, झूठ बोलना, नशा करना, जेब काटना, झगड़ा करना, चुनौतियाँ देना, सिगरेट पीना, व्यभिचार करना, तोड़–फोड़ करना, दूसरों पर आक्रमण करना, विद्याालय से भाग जाना, अपराधियों के साथ रहना, कक्षा में देर से आना, छोटे बालकों को तंग करना, बड़ों के विरूद्ध विद्रोह करना, दिन और रात में निरूदे्श्य घूमना, बस और रेल में बिना टिकट यात्रा करना, दीवारों पर उचित या अनुचित बातें

लिखना, जुए के अड्डो और शराबखानों में आना–जाना, चोरों, डाकुओं आवारा, बदचलन और दुष्ट व्यक्तियों से मिलना–जुलना, माता–पिता की आज्ञा के बिना घर से गायब हो जाना, सड़क पर चलते समय इस पर चलने के नियमों का पालन न करना, किसी की खड़ी हुई मोटर–कार में बैठकर सेर के लिए चल देना आदि। ये सारे कृत बाल अपराध की श्रेणी में आते है।

शोध प्रविधि (Research Methodology)

इस शोध पत्र में तथ्य संलग्न प्राथमिक एवं द्वितीयक आकड़ो के आधार पर किया गया है। प्राथमिक आकड़े 2016 एवं द्वितीयक आकड़े 2011 पर आधारित है।

अध्ययन क्षेत्र

भोपाल जिले में नगर निगम के अन्तर्गत उल्लेखित 366 गंदी बस्तियां है। जिसमें चयनित बस्ती ''गंगा नगर'' भी सम्मिलित है। जो थाना कमला नगर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा नगर गंदी बस्ती का भौगोलिक क्षेत्र 0.008701^{km2} है। जो भोपाल जिले का 0.0003% भू–भाग है। गंगा नगर कि कुल जनसंख्या 1879 गंगा नगर में कुल परिवार पाये गये 295 में से कुल 8 परिवारों का चयन किया जिनके 6.36% औसतन परिवारिक सदस्यों की संख्या 50 थी जो इस शोध कार्य के उत्तरदाता है। तालिका क्रं.–1, में भौगोलिक जानकारी अंकित है।

तालिका क्रमांक–1

गंगा नगर की कुल जनसंख्या	गंगा नगर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	गंगा नगर में कुल परिवारों की संख्या	चयनित परिवारों की संख्या	चयनित परिवारों का प्रतिशत	चयनित परिवारों में उत्तरदाताओं की संख्या	औसत प्रति परिवार
1	2	3	4	5	6	7
1879	0.008701^{km2}	295	08	2.45%	50	6.36

अध्ययन के उद्देश्य

1. गंदी बस्तियो में बाल अपराध की स्थिति ज्ञात करना।
2. गंदी बस्तियों व अन्य बस्तियों में बाल अपराध का आंकलन।
3. बाल अपराध से होने वाले परिणामों का समाज पर प्रभाव।

शोध कार्य में अपराध के प्रकार एवं अपराध करने के कारण के बारे में अध्ययन किया गया जो कि तालिका क्रमांक–2, में स्पष्ट है।

तालिका क्रमांक–2

संक्रं.	बल अपराध का स्वरूप	आयु समूह अनुसार बाल अपराध की स्थिति				कुल संख्या	प्रतिशत
		7–9	9–11	11–14	14–16		
1	चोरी करना, झूठ बोलना	2	2	2	3	9	18%
2	नशा करना	1	1	2	4	8	16%
3	जेब काटना	0	1	2	2	5	10%
4	झगड़ा करना, तोड़ फोड़ करना	1	2	1	2	6	12%
5	स्कूल से भाग जाना छोटे बालकों को तंग करना	1	1	1	1	4	8%
6	बस और रेल में बिना टिकट यात्रा करना	0	1	2	2	5	10%
7	जुए के अड्डो और शराबखानों में आना–जाना	0	2	2	2	6	12%
8	दीवारों पर उचित अनुचित बातें लिखना	0	0	0	1	1	2%
9	दिन और रात में निरूद्देश्य कमाना	0	0	1	1	2	4%
10	सभी प्रकार के अपराध में संलग्न	0	0	2	2	4	8%
	कुल योग	5	10	15	20	50	100%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि, ''गंगा नगर'' गंदी बस्ती में अधिकतम अपराध चोरी करना, झूठ बोलना एवं नशा करना संयुक्त रूप से 34% पाया गया है 10% बाल अपराध जैब काटना, जैसे अपराध में संलग्न है 12% बाल अपराधी झगड़ा करना तोड़ फोड़ करना, 8% स्कूल से भाग जाना छोटे बालको को तंग करना, 10% बस और रेल में बिना टिकट यात्रा करना तथा बाल अपराधी जुए के अड्डो और शराब खानों में आना जाना, दीवारों पर उचित अनुचित बातें लिखना, दिन और रात में निरूद्देश्य घूमने में संयुक्त रूप से 26% बालक अपराध में संलग्न है। स्पष्ट होता है कि संयुक्त रूप से 11–16 वर्ष की आयु समूह के बालक चोरी करना झूठ बोलना तथा नशा करने जैसे अपराध में सर्वाधिक रूप से संलग्न है बाकि सभी प्रकार के अपराध में 11–16 वर्ष के बालक संयुक्त रूप से 08% बालक अपराध में शामिल है। अतः सर्वेक्षण दौरान ''गंगा नगर'' गंदी बस्ती में यह पाया गया कि बालक स्कूल नहीं जा रहे है जिसके कारण यह अशिक्षित है।

अध्ययन उपरांत परिणाम

गंदी बस्तियों में मुखिया एवं महिलाओं के गृह त्यागने के पश्चात् अकेले रह गया बालक अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक विपन्नता, सामाजिक वातावरण भी बाल अपराध को प्रोत्साहित करता है।

अध्ययन उपरांत होने वाले प्रभाव

1. अध्ययन उपरांत बाल अपराधी में सबसे अधिक यह प्रभाव पाया गया कि ये हिसंक गतिविधियों की ओर शीघ्रता से आकर्षित हो जाते हैं।
2. अध्ययन के प्रति अरूचि उत्तपन्न हो जाती है।

निष्कर्ष

1. समाजिक आर्थिक स्थिति के कारण दुषित मनोभाव व बुरी आदतों का निर्माण।
2. समाज विरोधी कार्य व नियम कानून की अवहेलना ही अपराध है।
3. परिवारों का विघटन।
4. शिक्षा के प्रति अरूचि।
5. संस्कारों का अभाव।

सुझाव

1. उत्तम वातावरण एवं पाठशाला में बालकों के स्वस्थ एवं मनोरंजन के साधन भी होने चाहिऐं तथा बालको को उचित निर्देशन देने का प्रयोग करना चाहिए।
2. अनुर्तीण होने की समस्या का समाधान।
3. बाल अपराध को रोकने के लिए अध्यापक–अभिभावक परिषद् की स्थापना करना परम आवश्यक है।
4. गंदी बस्तियाँ, बाल–अपराधो के जन्म और विकास के लिए कुख्यात है। अतः इन बस्तियों को यथाशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए।
5. बाल अपराधियों से सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए जिससे इनकी हिंसक प्रवृत्ति पर अंकुश लग सकेगा।
6. मानसिक एवं भौतिक विकास हेतु लगातार उचित बातों से प्रोत्साहित करते रहना।
7. बाल अपराधी पर सतक निगरानी से उचित मार्गदर्शन अपराध को कम करने में सहायक हो सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आहूजा राम (2007), सामाजिक अनुसंधान, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
2. आनन्द प्रकाश सिंह (2008) नगरीय समाज शास्त्र, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स? नई दिल्ली 02.
3. डॉ. नीलम यादव At all (2010), गंदी बस्ती वासियों की समाज– आर्थिक दशायें, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 02.
4. Cloward, Richard and Ohin, Liyod, E, Delinquency and Opportunity : A Theory of Delinquent Gangs, The Free Press, Glencoe, Illinois, 1960.
5. Glueck, and Sheldon, Delinquents and Non-Delinquents in Perspective, Harvard University Press Cambridge, 1968.